"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2017—आश्विन 28, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्रमांक-एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ.—यत: छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में क्रमश: क्रमांक 157 दिनांक 2 मार्च 2015 एवं क्रमांक 44

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

दिनांक 5 फरवरी 2016 में किया गया है. इस नीति में मध्यावधि समीक्षा के उपरान्त निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. उपरोक्त नीति में नीचे दर्शाई कंडिकाओं में कॉलम क्रमांक 3 के स्थान पर कॉलम क्रमांक 4 के प्रावधान लागू किये जाते है :—

कंडिका क्रमांक	प्रोत्साहन	वर्तमान प्रावधान	संशोधन/संवर्धित प्रावाधन
(1)	(2)	(3)	(4)
6.1	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	राज्य में इकाई की स्थापना पर भूमि की लागत को छोड़कर किये गये स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत समतुल्य राशि, अधिकतम रुपये 150 लाख प्रति इकाई होगी.	राज्य में इकाई की स्थापना पर भूमि की लागत को छोड़कर किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर निम्नानुसार अनुदान देय होगा— (1) प्रथम रु. 10 करोड़ के निवेश पर 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि, अधिकतम रुपये 1.5 करोड़ प्रति इकाई देय होगी. (2) रु. 10 करोड़ से रु. 100 करोड़ तक के निवेश पर, प्रत्येक रु. 10 करोड़ पर 15 प्रतिशत के समतुल्य राशि, अधिकतम रुपये 15 करोड़ प्रति इकाई देय होगी. (3) रु. 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर अधिकतम 15 करोड़ प्रति इकाई देय होगी, इससे अधिक के निवेश पर कंडिका 7.4 अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार किया जाएगा.
6.4	लीज/किराये पर छूट	राज्य में स्थापित ऐसी इकाई, जिसका संचालन लीज/किराये के स्थान में हो रहा है, उन्हें लीज/किराये की दर में 50 प्रतिशत जिसकी राशि, अधिकमत सीमा रु. 10 लाख प्रति वर्ष होगी, की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष तक की जावेगी.	(अ) राज्य में स्थापित ऐसी इकाई, जिसका संचालन किराये के स्थान में हो रहा है, उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम पांच वर्ष तक किराये की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जाएगी— (1) 10,000 वर्गफीट से कम वाले किराये के स्थान पर किराये की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रुपये 10 लाख प्रति इकाई/प्रति वर्ष. (2) 10,000 से 30,000 वर्गफीट तक के किराये वाले स्थान पर किराये की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रुपये 20 लाख प्रति इकाई/प्रति वर्ष. (3) 30,000 वर्गफीट से अधिक किराये वाले स्थान पर किराये की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रुपये 30 लाख प्रति इकाई/प्रति वर्ष.

(1)	(2)	(3)	(4)
			(ब) राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित ऐसी इकाई, जिसका संचालन लीज पर क्रय किये गये स्थान में हो रहा है, उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से लीज की 25 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 800 प्रति वर्गफीट की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी.
6.10	रोजगार सृजन हेतु ईपीएफ अनुदान.	राज्य में स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद प्रारंभिक 7 वर्ष में संस्था द्वारा आई.टी. प्रोफेशनल की नियुक्ति उपरान्त जमा की गई ईपीएफ की राशि पर निम्न तालिका अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी :— कर्मचारी | ईपीएफ अनुदान (प्रतिशत में) | प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा तथा अवधि पुरुष | जमा की गई ईपीएफ की राशि का 75 प्रतिशत | ईपीएफ की भुगतान की गई राशि का अधिकतम रु. 10 लाख प्रतिवर्ष वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से से 7 वर्षों तक महिला | जमा की गई ईपीएफ की राशि का 100 प्रतिशत |	राज्य में स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद प्रारंभिक 7 वर्ष में संस्था द्वारा आई.टी. प्रोफेशनल की नियुक्ति उपरांत जमा की गई ईपीएफ की राशि पर निम्न तालिका अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी :— कर्मचारी | ईपीएफ अनुदान (प्रतिशत में) | प्रोत्साहन की अवधि एवं अधिकतम सीमा पुरुष | जमा की गई ईपीएफ की राशि का 75 प्रतिशत | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 7 वर्षों तक अधिकतम सीमा रु. एक करोड़ तक. महिला | जमा की गई ईपीएफ की राशि का 100 प्रतिशत |
7.4	सशर्त (Bespoke) प्रोत्साहन हेतु.	7.4.1 नीति की अवधि में रुपये 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जायेगा.	7.4.1 नीति की अवधि में रुपये 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जायेगा.
		7.4.2 ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकासकर्त्ता, जिनको विगत 5 वर्षों में 3 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्र-फल में 100 करोड़ के निवेश से सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकसित करने का अनुभव हो, इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जायेगा.	7.4.2 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व रु. 5 करोड़ से अधिक निवेश करने पर इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर सशक्त समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणवार विचार किया जायेगा.

(1)	(2)	(3)	(4)
			7.4.3 ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकासकर्त्ता, जो रु. 100 करोड़ लागत की सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना विकसित करेंगे, इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वीकृत करने पर प्रकरणवार विचार किया जायेगा.

2. उपरोक्त नीति में उल्लिखित कंडिका क्रमांक 6.10 की निरन्तरता में नीचे दर्शाई कंडिकाओं में उल्लिखित प्रावधान लागू किये जाते है :—

नवीन कंडिका क्रमांक (1)	प्रोत्साहन का विषय (2)	प्रदत्त प्रोत्साहन (3)
6.11	विद्युत बिलों के भुगतान पर अनुदान	राज्य में स्थापित डेटा सेंटरों, ई.एस.डी.एम. कंपनियों एवं क्लाऊड सेवा प्रदाता इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक स्वयं हेतु उपभुक्त विद्युत यूनिटों पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत अनुदान की प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष में अधिकतम रु. 1.50 करोड़ की सीमा तक.
6.12	बाजार विकास हेतु सहयोग	(अ) राज्य में स्थापित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई द्वारा भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेने पर निम्नांकित सहायता दी जाएगी— (1) इकाई द्वारा मेले में भाग लेने पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 लाख की प्रतिपूर्ति. (2) किसी भी इकाई को यह सहयोग एक बार ही दिया जाएगा. (ब) भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के छत्तीसगढ़ मंडप में भागीदारी हेतु उद्योग संघों/समूहों को निम्नांकित सहायता दी जाएगी— (1) भागीदारी पर व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 10 लाख की प्रतिपूर्ति. (2) न्यूनतम 5 इकाईयों को समूह का हिस्सा होना चाहिए.
6.13	अनुसंधान एवं विकास के लिये औद्योगिक इकाई एवं अकादमिक संस्थान की सहभागिता पर अनुदान	(1) स्टार्ट अप एवं सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई हेतु-प्रथम दो वर्षों में अनुसंधान एवं विकास पर इकाई द्वारा व्यय की गई राशि की दो-तिहाई राशि, अधिकतम रु. 1 करोड़ तक, की प्रतिपूर्ति की जाएगी. (2) बड़े उद्यमियों हेतु—प्रथम दो वर्षों में अनुसंधान एवं विकास पर इकाई द्वारा व्यय की गई राशि की आधी राशि, अधिकतम रु. 1 करोड़ तक, की प्रतिपूर्ति की जाएगी. **अनुसंधान एवं विकास अनुदान परियोजनाओं की आवश्यक शर्तें—** (अ) परियोजना अन्वेषक (प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर) के रूप में चयनित शैक्षणिक संस्थान को कम से कम दो वर्ष के लिए नवीन विषयों पर बैचलर कार्यक्रम संचालित करने का अनुभव होना चाहिए. (ब) इकाई के अनुसंधान एवं विकास कार्य में राज्य के लिये मूल्य संवर्द्धन आऊटपुट होना चाहिए.

(1)	(2)	(3)
6.14	डेटा सेंटर क्षेत्र के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना.	नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा नया रायपुर के 50 एकड़ क्षेत्र का सीमांकन डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रदाता के अनुरूप निम्नलिखित प्रावधानों के साथ किया जाना प्रस्तावित है— 1. डाटा सेंटर क्षेत्र के लिए चिप्स नोडल एजेंसी होगी तथा एनआरडीए भूमि विकास/आवंटनकर्त्ता एजेंसी होगी. 2. नया रायपुर में अबाधित 365 दिन x 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना. 3. राज्य में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से अनिवार्य ओएफसी कनेक्टिवीटी प्रदान की जाना.
6.15	आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए भिलाई और रायुपर में प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास.	1. राज्य शासन के अनुदान से चिप्स द्वारा स्थापित परिसर में पे एंड यूज (Pay and use) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें एकत्रित उपयोगकर्त्ता शुल्क परिसर के संचालन और रखरखाव में उपयोग किया जाएगा. 2. भिलाई और रायपुर में स्थान की उपलब्धता के आधार पर 100 सीटों के प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाएगें.

3. उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 157 दिनांक 2 मार्च 2015 एवं क्रमांक 44 दिनांक 5 फरवरी 2016 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 की अन्य कंडिकाएं अपरिवर्तनीय रहेगी.

4. उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयों को दूर करने के लिये स्पष्टीकरण एवं निर्देश जारी करने हेतु इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्राधिकृत किया जाता है.

5. उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट/अनुदान की प्रदायगी दिनांक 28 अगस्त, 2017 से प्रदान की जायेगी.

6. इस नीति के अंतर्गत विद्यमान उत्पादनरत इकाईयों के विस्तारीकरण पर उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट/अनुदान की पात्रता होगी.

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्रमांक-एफ 4-12/56/2017/इ.सू.प्रौ/.—राज्य शासन एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना" (स्काई) अधिसूचित करता है—

1. **योजना का नाम**—"छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना" (स्काई) होगा. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, शहरी गरीब परिवार एवं कॉलेज के युवाओं को नि:शुल्क मोबाईल फोन उपलब्ध कराये जाएंगे. परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा.

2. **योजना का उद्देश्य**—छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के प्रमुख उद्‌देश्य इस प्रकार हैं—

2.1 राज्य के मोबाइल कनेक्टिविटी से असंबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी प्रदाय करने का प्रयास.

2.2 स्मार्ट फोन के उपयोग के माध्यम से राज्य में आर्थिक गतिविधि बढ़ाना.

2.3 मोबाइल के उपयोग से जेंडर सशक्तिकरण का कार्य करना.

2.4 जन धन, आधार और स्मोर्टफोन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू करना.

2.5 डिजिटल भुगतान और पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेश एवं बैकिंग सेवाओं का विस्तार करना.

2.6 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराना.

2.7 नागरिक, स्मार्ट फोन का उपयोग शासन में साझेदारी, शासकीय और निजी सेवाओं तक पहुंच के लिए कर सकें.

3. **योजना की अवधि—**

3.1 यह योजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाएगी.

3.2 योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण परिवारों तथा 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रूप से उपलब्ध है, के ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों एवं कॉलेज के युवाओं को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए.

3.3 योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2019-20 में 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे गांव जहां मोबाईल कवरेज उपलब्ध नहीं है, के सभी ग्रामीण परिवारों को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए.

3.4 परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा.

4. **योजना का स्वरूप—**

4.1 योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार की महिला प्रमुखों, शहरी गरीब परिवार की महिला प्रमुखों और कॉलेज के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए मोबाइल फोन वितरीत किये जाएंगे.

4.2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वयं के खर्च पर नेटवर्क विस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा.

4.3 जिस हितग्राही को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा, उसका फोन-नंबर पूर्व आवंटित होगा, यह आधार और बैंक खाता से भी जुड़ा होगा. इससे हितग्राही, फोन निरन्तर रखने हेतु प्रोत्साहित होगा.

4.4 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल मरम्मत और रखरखाव का स्वरोजगार विस्तारित होगा.

4.5 योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स द्वारा किया जाएगा.

5. **योजना की लागत/बजट—**

5.1 योजना की अनुमानित लागत रु. 1230 करोड़ होगी.

5.2 योजना हेतु आवश्यक राशि राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. विभाग, योजना का क्रियान्वयन चिप्स के माध्यम से करेगा.

5.3 योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने का दायित्व चिप्स का होगा.

6. **भौतिक लक्ष्य—**

6.1 इस योजनांतर्गत भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार है :—

चरण (1)	प्राप्तकर्त्ता (2)	संख्या (3)	कुल (4)
प्रथम	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चिन्हित ग्रामीण परिवार (1000 जनसंख्या एवं 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रूप से उपलब्ध वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार).	40.1 लाख	50.8 लाख

2.5 डिजिटल भुगतान और पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेश एवं बैकिंग सेवाओं का विस्तार करना.

2.6 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराना.

2.7 नागरिक, स्मार्ट फोन का उपयोग शासन में साझेदारी, शासकीय और निजी सेवाओं तक पहुंच के लिए कर सकें.

3. **योजना की अवधि—**

3.1 यह योजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाएगी.

3.2 योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण परिवारों तथा 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रूप से उपलब्ध है, के ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों एवं कॉलेज के युवाओं को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए.

3.3 योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2019-20 में 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे गांव जहां मोबाईल कवरेज उपलब्ध नहीं है, के सभी ग्रामीण परिवारों को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए.

3.4 परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा.

4. **योजना का स्वरूप—**

4.1 योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार की महिला प्रमुखों, शहरी गरीब परिवार की महिला प्रमुखों और कॉलेज के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए मोबाइल फोन वितरीत किये जाएंगे.

4.2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वयं के खर्च पर नेटवर्क विस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा.

4.3 जिस हितग्राही को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा, उसका फोन-नंबर पूर्व आवंटित होगा, यह आधार और बैंक खाता से भी जुड़ा होगा. इससे हितग्राही, फोन निरन्तर रखने हेतु प्रोत्साहित होगा.

4.4 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल मरम्मत और रखरखाव का स्वरोजगार विस्तारित होगा.

4.5 योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स द्वारा किया जाएगा.

5. **योजना की लागत/बजट—**

5.1 योजना की अनुमानित लागत रु. 1230 करोड़ होगी.

5.2 योजना हेतु आवश्यक राशि राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. विभाग, योजना का क्रियान्वयन चिप्स के माध्यम से करेगा.

5.3 योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने का दायित्व चिप्स का होगा.

6. **भौतिक लक्ष्य—**

6.1 इस योजनांतर्गत भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार है :—

चरण (1)	प्राप्तकर्त्ता (2)	संख्या (3)	कुल (4)
प्रथम	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चिन्हित ग्रामीण परिवार (1000 जनसंख्या एवं 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रूप से उपलब्ध वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार).	40.1 लाख	50.8 लाख

(1)	(2)	(3)	(4)
	नगरीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई परिभाषा अनुसार चिन्हित शहरी गरीब परिवार.	5.6 लाख	
	तकनीकी एवं गैर तकनीकी कालेज विद्यार्थी	5.1 लाख	
द्वितीय	वर्ष 2019-20 (1000 जनसंख्या वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार).	4.8 लाख	4.8 लाख
		योग	**55.6 लाख**

7. **वित्तीय व्यवस्था—**

7.1 प्रथम चरण के लिए वार्षिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य—

वितरण अवधि	स्मार्ट फोन की संख्या	वित्तीय लागत (करोड़ में)
वर्ष 2017-18 से 2018-19	50.8 लाख	1128.00 करोड़

7.2 द्वितीय चरण के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य—

वितरण अवधि	स्मार्ट फोन की संख्या	वित्तीय लागत (करोड़ में)
वर्ष 3 (2019-20)	4.8 लाख	102.00
योग	**4.9 लाख**	**102.00**

8. **योजना का क्रियान्वयन—**

8.1 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी. मोबाईल फोन का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा राशन दुकान, पंचायत भवन अथवा सुविधानुसार अन्य निश्चित स्थान से किया जाएगा.

8.2 जिला कलेक्टर, वितरण योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे और समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे.

8.3 हितग्राहियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन विभाग तथा कॉलेज में युवाओं का चयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा.

8.4 जनसंपर्क विभाग द्वारा स्मार्ट फोन पर उपलब्ध कराये जाने वाले कंटेन्ट तैयार कराये जाएंगे.

8.5 खरीद, वितरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए चिप्स मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) का विकास करेगा. जिला कलेक्टर एसओपी के अनुसार फोन वितरित करेंगे और वितरण की जानकारी के साथ हितग्राही का विवरण चिप्स को उपलब्ध करायेंगे.

8.6 हितग्राहियों की सूची www.chips.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी.

8.7 मोबाइल आपूतिकर्ता के तकनीशियनों द्वारा मोबाईल मरम्मत/सेवा केन्द्र का संचालन एवं मोबाइल मरम्मत का प्रशिक्षण कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से किया जाएगा.

8.8 योजना के क्रियान्वयन हेतु चिप्स द्वारा परियोजना प्रंबधन इकाई (PMU) गठित की जायेगी.

(1)	(2)	(3)	(4)
	नगरीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई परिभाषा अनुसार चिन्हित शहरी गरीब परिवार.	5.6 लाख	
	तकनीकी एवं गैर तकनीकी कालेज विद्यार्थी	5.1 लाख	
द्वितीय	वर्ष 2019-20 (1000 जनसंख्या वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार).	4.8 लाख	4.8 लाख
		योग	**55.6 लाख**

7. **वित्तीय व्यवस्था—**

7.1 प्रथम चरण के लिए वार्षिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य—

वितरण अवधि	स्मार्ट फोन की संख्या	वित्तीय लागत (करोड़ में)
वर्ष 2017-18 से 2018-19	50.8 लाख	1128.00 करोड़

7.2 द्वितीय चरण के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य—

वितरण अवधि	स्मार्ट फोन की संख्या	वित्तीय लागत (करोड़ में)
वर्ष 3 (2019-20)	4.8 लाख	102.00
योग	**4.9 लाख**	**102.00**

8. **योजना का क्रियान्वयन—**

8.1 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी. मोबाईल फोन का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा राशन दुकान, पंचायत भवन अथवा सुविधानुसार अन्य निश्चित स्थान से किया जाएगा.

8.2 जिला कलेक्टर, वितरण योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे और समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे.

8.3 हितग्राहियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन विभाग तथा कॉलेज में युवाओं का चयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा.

8.4 जनसंपर्क विभाग द्वारा स्मार्ट फोन पर उपलब्ध कराये जाने वाले कंटेन्ट तैयार कराये जाएंगे.

8.5 खरीद, वितरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए चिप्स मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) का विकास करेगा. जिला कलेक्टर एसओपी के अनुसार फोन वितरित करेंगे और वितरण की जानकारी के साथ हितग्राही का विवरण चिप्स को उपलब्ध करायेंगे.

8.6 हितग्राहियों की सूची www.chips.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी.

8.7 मोबाइल आपूतिकर्त्ता के तकनीशियनों द्वारा मोबाईल मरम्मत/सेवा केन्द्र का संचालन एवं मोबाइल मरम्मत का प्रशिक्षण कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से किया जाएगा.

8.8 योजना के क्रियान्वयन हेतु चिप्स द्वारा परियोजना प्रंबधन इकाई (PMU) गठित की जायेगी.

8.9 योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना हेतु शासकीय भवनों की छत नि:शुल्क उपयोग करने की अनुमति संबंधित विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान की जायेगी.

8.10 योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना हेतु राजस्व विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को शासकीय भूमि का नि:शुल्क आवंटन किया जाएगा.

8.11 परियोजना अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नि:शुल्क राईट ऑफ वे (राष्ट्रीय राजमार्ग, वन एवं रेल्वे की भूमि छोड़कर) दिया जाएगा.

9. **उच्च अधिकार प्राप्त समिति की संरचना—**

9.1 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा, जो इस प्रकार होगी :—

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
9.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	सदस्य सचिव
10.	अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार सदस्य बढ़ाए जा सकेंगे	सदस्य

9.2 उच्च अधिकार प्राप्त समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :—

9.2.1 योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करना.

9.2.2 योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन करना.

9.2.3 योजना के अंतर्गत चिन्हित हितग्राहियों के अलावा किसी अन्य वर्ग को शामिल करने का अधिकार उच्च अधिकार प्राप्त समिति को प्राप्त होगा.

9.2.4 हितग्राहियों के चयन हेतु अर्हता एवं वितरण योजना का आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना.

9.2.5 योजना के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करना.

9.2.6 अंतर्विभागीय समन्वय करना.

10. **मॉनिटरिंग—**

10.1 इस योजना की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जाएगी.

10.2 परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए चिप्स परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करेंगी.

10.3 परियोजना प्रबंधन इकाई इस योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अनुश्रवण प्रारूप का विकास करेगा.

10.4 योजना के क्रियान्वयन, स्पष्टीकरण एवं कठिनाईयों के निराकरण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश का संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्राधिकृत होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.